[ 5/12/2025]

प्रश्न सं. [ क्र. 881 ]

परिशिष्ट - अ

## विधानसभा प्रश्न क्रमांक 881 अतारांकित सत्र दिसंबर.2025

## परिशिष्ट - अ

निकाय अंतर्गत वार्ड नं0 4 में मुल्ले खांन के मकान से ईदगाह तक 320 मी. लम्बाई तथा औसत चौडाई 4 मी. सी. रॅड का निर्माण तथा 40 मी. नाली व 0.40 मी. चौडाई की नाली का निर्माण लागत राशि रू. 13.84 लख का कार्य नवम्बर 2022 में पूर्ण कराया गया।

नवीन सड़क का निर्माण वायपास मुख्य सड़क के रूप में उपयोग होना प्रस्तावित था जिसमें पूर्व से निर्मित 320 मीण् की सड़क की चौड़ाई कम व निर्मित मकान व आगे पीछे की कच्ची सड़क का ढाल (ग्रेडियन्ट) सही व स्थल पर अतिक्रमण व वर्षात एवं घरेलू पानी की निकासी सुचारू न होने के कारण पूर्व निर्मित सड़क 320 मी. में से 250 मी. का हिस्सा उक्त सड़क का है जिसमें से 70 मी. सड़क ऊँचा होने के कारण उखाड़ कर लगभग 0.60 मी. खोदा गया 180 मी. लम्बाई की सड़क का लेबिल खेतों के बराबर होने से फिलिंग कर 0.60 मी. से 1.30 मी. ऊपर उठाया गया है तत्पश्चात उक्त योजनान्तर्गत कुल 1953 मी. लम्बी जिसकी चौड़ाई 5.20 मी. से 7.50 मी. तथा नाली की लम्बाई 525 मी. व चौड़ाई 0.90 मी. की निर्मित की गई।

उक्त सी.सी. रोड व नाली निर्माण का कार्य पुराने मार्ग की वायपास (मुख्य मार्ग) के रूप में उपयोग हेतु तथा स्थल के खेत व मकानों के वर्षाती व घरेलू पानी की निकासी हेतु अतिक्रमण मुक्त कर नगरवासियों व आम जनता के सुगम आवागमन हेतु कराया गया है जिससे शासन की राशि का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया जिसकी जाँच का प्रश्न ही नहीं एवं पुराहार नाले पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु संभागीय कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर के पत्र क्र. 1320 सागर दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से राशि 49.19 लाख रूपये की तकनीकी स्वीकृति ली जाकर उक्त कार्य कराये जाने हेतु निकाय के पत्र क्र0 2200 दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ को डीएमएफमद से राशि प्रदाय बावत पत्र प्रेषित किया जा चुका है। राशि प्राप्त होने पर कार्य कराया जाना संभव होगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल

Sub-Engineer
Urban Administration
& Development